

3rd

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL
REPORT
2022-23



टुस्को लिमिटेड
TUSCO LIMITED

(A Joint Venture of THDC India Limited & UPNEDA)
(CIN: U40106UP2020GOI134504)

सतत भविष्य के लिए सौर ऊर्जा SOLAR POWER FOR SUSTAINABLE FUTURE



टुस्को लिमिटेड के 600 मेगावाट
अल्ट्रामेगा सोलर पावर पार्क, झाँसी

का शिलान्यास

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।

-गरिमामयी उपस्थिति-

श्रीमती आनंदीबेन पटेल **योगी आदित्यनाथ**

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री राजनाथ सिंह

केन्द्रीय रक्षा मंत्री

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

केन्द्रीय राज्य मंत्री,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री जवाहर लाल राजपूत


विधायक, विधानसभा क्षेत्र-गरौठा

झाँसी, उत्तर प्रदेश

शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2021

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कॉर्पोरेट सिंहावलोकन	
• निदेशक मंडल	4
• कंपनी का विजन और मिशन	5
• कॉर्पोरेट सूचना	6
• मुख्य वित्तीय जानकारी	7
• अध्यक्ष का अभिभाषण	9
• निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	10
निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23 और इसके अनुलग्नक	
• वार्षिक आम बैठक की सूचना	12
• निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23	15
• प्रपत्र एओसी-2	24
वित्तीय विवरण 2022-23	
• तुलन-पत्र	25
• लाभ एवं हानि का विवरण	27
• नकदी प्रवाह विवरण	29
• लेखाओं के लिए टिप्पणियां	33
• वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	69
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	77



निदेशक मंडल



श्री आर. के. विशनोई
अध्यक्ष



श्री जे. बेहेरा
नामिती निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड



श्री अतुल जैन
नामिती निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(दिनांक 09.09.2023 से)



श्री अनुपम शुक्ला
नामिती निदेशक
यूपीनेडा
(दिनांक 12.07.2022 से)



श्री भवानी सिंह खंगारोट
नामिती निदेशक
यूपीनेडा
(दिनांक 10.06.2022 तक)



कंपनी का विज़न और मिशन

विज़न कथन

1. सतत भविष्य के लिए जीवन का कायाकल्प करने वाली एक अनुकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा इकाई बनना।

मिशन कथन

1. आने वाली पीढ़ियों को स्थायी, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम अवसंरचना प्रदान करना।
2. अरबों लोगों के लिए किफायती स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान करना।
3. भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली का स्वच्छ ऊर्जा मॉडल के रूप में कायाकल्प करने के लिए अनुकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
4. आने वाली पीढ़ियों के लिए लागत प्रभावी तरीके से नवीकरणीय और सतत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
5. भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को नवीकरणीय और सतत ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करना।

कॉर्पोरेट सूचना

1 पंजीकृत कार्यालय

टुस्को लिमिटेड, चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन
विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 0522-3515962

2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री मनोज सरदाना
संपर्क नंबर: 9650493650
ईमेल: msardana@thdc.co.in

3 मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

श्री मृदुल दुबे
संपर्क नंबर: 8299737233
ईमेल: mriduldubey@thdc.co.in

4 कंपनी सचिव (सीएस)

श्री हिमांशु बाजपेयी
संपर्क नंबर: 7985143022
ई-मेल: himanshubajpai@thdc.co.in

5 सांविधिक लेखापरीक्षक

डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
जीएफ 2, एकता अपार्टमेंट 125, चंद्र लोक कॉलोनी अलीगंज,
लखनऊ-226024
संपर्क नंबर: 9453039542, ई-मेल: casriharshshukla@gmail.com

6 बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक,
गोमती नगर, लखनऊ



प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं


(राशि लाख रु. में)

	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
क	राजस्व			
1	प्रचालन से राजस्व	0.00	0.00	0.00
2	अन्य आय	40.83	10.26	7.86
3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	0.00	0.00	0.00
4	घटाए: सिंचाई घटक पर मूल्यहास	0.00	0.00	0.00
5	कुल राजस्व	40.83	10.26	7.86
ख	व्यय			
6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	76.26	154.07	0.00
7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	2.36	2.36	42.37
8	प्रावधान	0.00	0.00	0.00
9	अपवादात्मक मदें	0.00	0.00	0.00
10	कुल व्यय	78.62	156.43	42.37
11	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5-10)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
12	मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	0.00	0.00	0.00
13	सकल लाभ (पीबीआईटी) (11-12)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
14	वित्त लागत	0.00	0.00	0.00
15	विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13-14)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
16	आय कर	0.00	0.00	0.00
17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(13.12)	(43.33)	(8.52)
18	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15-16-17)	(24.67)	(102.84)	(25.99)
19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	0.00	0.00	0.00
20	सतत परिचालन से अवधि के लिए लाभ (18+19)	(24.67)	(102.84)	(25.99)
21	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00
22	अन्य व्यापक आय पर आय कर-आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	0.00	0.00	0.00
23	कुल व्यापक आय (20+21+22)	(24.67)	(102.84)	(25.99)
ग	परिसंपत्तियां			
24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति निवल (ब्लॉक)	73.24	47.53	21.30
25	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4,687.60	2,010.65	640.60
26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	8,639.70	4,980.33	32.76
27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	0.00	0.00	0.00
28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	64.97	51.85	8.52
29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	0.00	0.00	0.00
30	अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	331.86	1.62	0.00
31	चालू परिसंपत्तियां	2,210.77	261.95	724.29
32	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	0.00	0.00	0.00
33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00	0.00	0.00
34	कुल परिसंपत्तियां	16,008.14	7,353.93	1,427.47
घ	देयताएं			
35	इक्विटी शेयर पूँजी	3,500.00	2,000.00	1,000.00

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

	अन्य इक्विटी			
36	आरक्षित और अधिशेष	216.5	(128.83)	(25.99)
37	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00
38	कुल अन्य इक्विटी	216.5	(128.83)	(25.99)
39	दीर्घ अवधि उधारियां	0.00	0.00	0.00
40	गैर-चालू पट्टा देयताएं	8,771.35	4778.20	27.68
41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	2,450.00	50.00	0.00
42	लघु अवधि उधारियां	0.00	0.00	0.00
43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	0.00	0.00	0.00
44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	609.68	373.66	6.85
45	अन्य चालू देयताएं	460.61	280.90	418.93
46	विनियामक अस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	0.00	0.00	0.00
47	कुल देयताएं	16,008.14	7353.93	1427.47
48	निवल मूल्य (35+38)	3,716.5	1871.17	974.01
49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39-28)	3,651.53	1819.32	965.49
50	लाभांश	0.00	0.00	0.00
51	मूल्य वर्धित (11)	0.00	0.00	0.00
52	कर्मचारियों की संख्या	22	19	12
53	शेयरों की संख्या (राशि लाख में) प्रति शेयर 1000/- रु. के सम मूल्य पर)	3.5	2.00	1.00
इ	अनुपात			
	विनियामक अस्थागित लेखा शेष में निबल संचलन सहित प्रति शेयर अर्जन (रु. 1000/-) शेयर का सममूल्य (रु. में)	(8.66)	(89.91)	(25.99)
	चालू अनुपात [31 / (42+43+44+45)]	2.07	0.40	1.70
	इक्विटी पर ऋण (39+42+43) / 48)	0.00	0.00	0.00
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी [(13+9) / 49]	(1.03%)	(8.03%)	(3.57%)
	निवल मूल्य पर प्रतिफल	(0.88%)	(7.23%)	(2.67%)
	कुल व्यापक आय से प्रचालनों से राजस्व (23 / 1)	0.00	0.00%	0.00%
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु. में) (48/53)	1,061.85	935.59	974.01
	मूल्य वर्धित प्रति (करोड़ रु. में) (51/52)	0.00	0.00	0.00
	लाभांश प्रति शेयर (रु. में) (प्रत्येक 1000 रु. का शेयर)	0.00	0.00	0.00
च	प्रचालन निष्पादन			
	उत्पादन (एम. यू.)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निवल मूल्य बनाम तुलनपत्र का आकार लाख रूप में





अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्य गण,

मुझे हमारी तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 में टुस्को लिमिटेड की व्यापक यात्रा और आगामी योजना मार्ग को समाहित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और चुनौतियों दोनों का अनुभव किया। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी कंपनी ने साझा मूल्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया। मैं वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

भारत सरकार (जीओआई) ने हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तरोत्तर घटती लागत, बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है। अब तक, लगभग 179.32 गीगावाट (जुलाई, 2023) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें लगभग 71 गीगावाट सौर, 44 गीगावाट पवन, 11 गीगावाट जैव-शक्ति, 0.55 गीगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा, 46.85 गीगावाट दीर्घ जलविद्युत और 5 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता शामिल है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के उपरोक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। अब तक, 8 मोड हैं जिनके तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) योजनाएं लागू की जाती हैं। मोड-8 के तहत, नामतः अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) को सीपीएसयू/राज्य पीएसयू/सरकारी संयुक्त उद्यम/उनकी सहायक कंपनियों द्वारा एसपीवी मोड के माध्यम से विकसित की जा रही है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने उत्तर प्रदेश राज्य में टुस्को लिमिटेड को विकास के लिए 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क आबंटित किए हैं। तदोपरान्त, इसे टुस्को लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् टुस्को लिमिटेड को 12.09.2020 को टुस्को लिमिटेड और यूपीएनईडीए की क्रमशः 74% और 26% इक्विटी हिस्सेदारी के साथ निगमित किया गया था।

कंपनी कई चुनौतियों का सामना करने में लचीली रही है और नवीकरणीय ऊर्जा में एक लचीली संस्था के रूप में उभरी है, जिसने भारत में किफायती स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए एक खाका तैयार किया है। टुस्को लिमिटेड भारत को उसके सतत विकास लक्ष्यों के समीप पहुंचने में मदद कर रहा है।

परियोजनाएं:

13 अक्टूबर, 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा ललितपुर और झांसी जिलों में 600 मेगावाट के दो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी

गई है। दिनांक 18.08.2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट क्षमता यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में कुल 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। सभी आबंटित सौर विद्युत पार्कों में कार्य प्रगति पर है।

भावी दृष्टिकोण:

देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आबंटित यूएमआरईपीपी को शीघ्रताशीघ्र चालू करना सम्योचित है। सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए, मुझे विश्वास है कि कंपनी का समर्पित और अनुभवी कर्मचारी कार्यबल उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

कंपनी के सतत विकास के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशने की भी आवश्यकता है। तदनुसार, टुस्को लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा छह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के विकास का कार्य भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आबंटित जल निकायों के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी थी।

आभार:

टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एमएनआरई, एसईसीआई, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों का हमारे प्रयासों में उनके समर्थन के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उन सभी कृषकों, जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) पर हस्ताक्षर करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कृषकों को समय पर सभी भुगतान करने के लिए बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर टुस्को लिमिटेड के सम्पूर्ण कार्यबल को कंपनी की स्थापना और चित्रकूट में भूमि चिह्नित करने साथ-साथ झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में किसानों के साथ पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में तेजी लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम अपने देश के निरंतर विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करना जारी रखेंगे।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। मैं आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 09/09/2023

ह०/—

(राजीव कुमार विश्नोई)

अध्यक्ष

डीआईएन: 08534217

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई



श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 06.08.2021 को टुस्को लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में वे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले, वे 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) थे। इसके अतिरिक्त, आपको दिनांक 13.12.2022 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और आपको जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 36 से अधिक वर्षों का बृहद और समृद्ध अनुभव हैं। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, रूस से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माण के डिजाइन और निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम भी पूरा किया है। आपने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से अग्रणी कार्यनीतिक परिवर्तन में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

श्री जे. बेहेरा



श्री जे. बेहेरा को कंपनी के निगमन के बाद से टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आप 16.08.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप वाणिज्य में स्नातक हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त और लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 33 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप पिछले चार वर्षों से टुस्को लिमिटेड के 'मुख्य वित्तीय अधिकारी' का पद भी संभाल रहे हैं।

श्री अतुल जैन



श्री अतुल जैन को 09 सितंबर, 2023 से टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है, आप वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) का पद संभाल रहे हैं। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। श्री जैन ने अपनी स्नातक की डिग्री वर्ष 1984 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल (एपी) से प्राप्त की। आपने वर्ष 1988 में रुड़की विश्वविद्यालय (आईआईटी रुड़की) से भूकंप इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स में विशेषज्ञता के साथ) में ऑनर्स के साथ एमई की डिग्री प्राप्त की।

आप टीएचडीसीआईएल के टिहरी, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र और अन्य प्रचालनात्मक संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण सहित अनुसंधान और विकास क्षेत्र के प्रभावी कामकाज का प्रबंधन कर रहे हैं। आपने झांसी में 24 मेगावाट टुकवां एसएचपी के पहले इन-हाउस डिजाइन के लिए डिजाइन इंजीनियरों की एक टीम का भी प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया है।

श्री अनुपम शुक्ला



श्री अनुपम शुक्ला को दिनांक 12.07.2022 को टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आप 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री शुक्ला ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन विश्वविद्यालय, देहरादून से एमएससी पूरा किया है। आपने जनवरी, 2020 से मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के रूप में कार्य किया है। अब आपको ऊर्जा और ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग के विशेष सचिव और निदेशक (यूपीनेडा) के रूप में तैनात किया गया है।



टुस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए का संयुक्त उद्यम)

(सीआईएन: U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत पता: चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टुस्को लिमिटेड के सदस्यों की तीसरी वार्षिक आम बैठक शनिवार, 09 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 12.00 बजे, माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है:

सामान्य कार्य-संव्यवहार

1. **31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग हैं, और लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एतद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि “टुस्को लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है, के वर्ष 2023-24 के लिए पारिश्रमिक को जीएसटी सहित 2,36,000/- रुपये पर अनुमोदित किया जाए।

3. **श्री जे.बेहेरा (डीआईएन: 08536589), नामिती निदेशक - टीएचडीसीआईएल को नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम के द्वारा निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में श्री जे. बेहेरा (डीआईएन: 08536589), जो इस बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।”

टुस्को लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से
ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
एम-9044796670

सेवा में :

- टुस्को लिमिटेड के सभी शेयरधारक
- टुस्को लिमिटेड के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

स्थान: ऋषिकेश

दिनांक: 16.09.2022



टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथा-अपेक्षित समय से कम समय का नोटिस देकर बैठक बुलाई गई है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
2. बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर आमंत्रित की जा रही है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
3. नोटिस में संदर्भित संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में और बैठक के स्थान पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 और 28 दिसम्बर, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के अपने परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के उपबंधों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक माइक्रोसॉफ्ट टीमों में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक आम बैठक के लिए मानित स्थल टीएचडीसीआईएल का बोर्ड रूम, गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश-249201 होगा।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।



टुस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए का संयुक्त उद्यम)

(सीआईएन: U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत पता: चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

प्रॉक्सी फॉर्म

कंपनी का नाम : टुस्को लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ई-मेल	

मैं, _____ टुस्को लिमिटेड का सदस्य होने के नाते, 09 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए _____ के श्री _____ को (उनके न हो सकने पर) _____ के श्री _____ को एतद्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

साधारण व्यापार

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना
- श्री जे. बेहेरा (डीआईएन: 08536589), नामिती निदेशक–टीएचडीसीआईएल को नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम के द्वारा निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे।

मैंने दिनांक 2023 को साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

हितधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

निदेशकों की रिपोर्ट



प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के कार्यकरण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य के एक सरकारी संगठन के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 06.08.2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके बाद, वर्ष 2013 में 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और यूपीएनईडीए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ, 12 सितंबर, 2020 को कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में चौथी मंजिल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, (यूपी) – 226010 में स्थित है।

परियोजनाएं

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य में एसपीवी (अर्थात टुस्को लिमिटेड) के माध्यम से 2000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा सौर विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) आवंटित किया है। इन यूएमआरईपीपी को एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) योजना के मोड-8 के तहत विकसित किया जा रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगी और अधिग्रहण में सहायता प्रदान करेगी और सभी अपेक्षित सांविधिक मंजूरीयों के लिए मदद करेगी।

- यूएमआरईपीपी के लिए भूमि इस शर्त के साथ आवंटित की जाएगी कि विकास दो वर्षों (अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए विस्तार के प्रावधान के साथ) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को परियोजना की संपूर्ण पीपीए अवधि के लिए यूएमआरईपीपी में परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली विद्युत के 0.05 रुपये/यूनिट के सुविधा शुल्क का भुगतान केवल यूएमआरईपीपी से राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली विद्युत की मात्रा के लिए किया जाएगा।
- एसपीपीडी को 20 लाख रुपये/मेगावाट या यूएमआरईपीपी के विकास की लागत का 30%, जो भी कम हो, की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी।
- यदि एसपीपीडी अथवा इसके किसी व्यक्तिगत विकासकर्ता के पास ट्रेडिंग लाइसेंस है, तो एसपीपीडी 0.07 रुपये/यूनिट के मार्जिन का दावा करने का हकदार होगा।

सौर पार्कों में परियोजना गतिविधियों में या तो निःशुल्क या भुगतान के आधार पर ग्राम सभा/सरकार और किसानों की निजी भूमि से भूमि का अधिग्रहण शामिल है। किसानों से जमीन या तो खरीदी जाएगी या लीज के आधार पर ली जाएगी।

सोलर पार्क में अन्य गतिविधियों में बाड़ लगाना, गेट, पार्क के अंदर सड़कें, जल निकासी योजना, विभिन्न बिंदुओं/स्थानों पर पानी की व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, गोदाम, प्रशिक्षण केंद्र, सड़क पर आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, निकटतम राजमार्ग/सड़कों से पार्क करने के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है। उपरोक्त के अलावा, सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) को पूलिंग सब-स्टेशनों और आंतरिक विद्युत पारेषण लाइनों के विकास सहित पास के ग्रिड सब-स्टेशन में विद्युत निकासी करनी है।

निर्माणाधीन सौर ऊर्जा पार्कों की प्रगति और स्थिति:

600 मेगावाट झांसी सौर विद्युत पार्क (जेएसपीपी)

झांसी सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गरौठा तहसील में 600 मेगावाट के यूएमआरपीपी की स्थापना की जा रही है। झांसी सौर ऊर्जा पार्क के लिए अधिग्रहण हेतु 30-वर्षीय पट्टे के आधार पर लक्षित भूमि 3000 एकड़ है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 के पत्र के माध्यम से संसूचित अनुमोदन के अनुरूप है। झांसी सौर पावर पार्क के लिए अधिग्रहण के अधीन भूमि का क्षेत्रफल 3367.53 एकड़ है, जो 30 वर्ष के पट्टे पर है, जिसमें 2992.13 एकड़ निजी भूमि और 375.40 एकड़ सरकारी / ग्राम सभा की भूमि शामिल है। 30 अप्रैल, 2023 तक 1482 किसानों के साथ 2196 एकड़ निजी भूमि के लिए पट्टा विलेख करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

परियोजना लागत: झांसी सौर पार्क उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की गरौठा तहसील में स्थापित किया जा रहा है। झांसी सौर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2020 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और सोलर पार्क की लागत 429.92 करोड़ रुपये है।

वित्त पोषण के स्रोत: झाँसी सोलर पार्क को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है:

क्र. सं.	स्रोत	राशि (करोड़ रुपए में)
1	इक्विटी	20.00
2	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	120.00
3	अग्रिम शुल्क	150.00
4	ऋण वित्तपोषण	140.47

विद्युत निकासी - आंतरिक: 600 मेगावाट की झाँसी सौर परियोजना के आंतरिक विद्युत निकासी के कार्य को मेसर्स पीजीसीआईएल के माध्यम से उन्हीं नियमों और शर्तों पर लागू करने का प्रस्ताव है, जो जमा/लागत जोड़ आधार पर 1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी के लिए पीजीसीआईएल द्वारा निष्पादित आंतरिक विद्युत निकासी का कार्य में लागू हैं। बोर्ड ने अपनी 11वीं बैठक में 600 मेगावाट झाँसी सौर परियोजना आंतरिक विद्युत निकासी का कार्य मेसर्स पीजीसीआईएल को सौंपने की मंजूरी दे दी है। 600 मेगावाट के झाँसी सौर ऊर्जा पार्क के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पीजीसीआईएल की सैद्धांतिक सहमति दिनांक 13.03.2023 को प्राप्त हुई।

विद्युत निकासी - बाहरी: झाँसी परियोजना से विद्युत की निकासी के लिए यूपीपीटीसीएल द्वारा 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना के लिए, झाँसी जिले में गरौठा तहसील के जलालपुरा गाँव में उपयुक्त स्थल की पहचान की गई है और उपयोग के अधिकार के आधार पर यूपीपीटीसीएल को निःशुल्क 75 एकड़ भूमि को सौंपने का प्रस्ताव है। यूपीपीटीसीएल ने 2.5 वर्ष की अनुमानित समय अवधि के भीतर सौर पार्कों के लिए विद्युत निकासी को पूरा करने की सूचना दी है।

600 मेगावाट झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बाह्य विद्युत निकासी प्रणाली

600 मेगावाट की झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गाँव-जलालपुरा, जिला झाँसी में 220/400/765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीसीसी) के निर्माण के लिए यूपीपीटीसीएल को 75 एकड़ भूमि सौंपने के लिए टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच 20.06.2023 को एक भूमि उपयोग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत को 2 33/220 केवी पूलिंग सब-स्टेशनों के माध्यम से और आगे 220/400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के माध्यम से मुख्य ग्रिड तक पहुंचाया जाएगा। समझौते पर श्री मुकेश कुमार वर्मा, अपर महाप्रबंधक, टुस्को लिमिटेड, झाँसी और श्री विकास गुप्ता, अधीक्षक



टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन / करार पर हस्ताक्षर

अभियंता, यूपीपीटीसीएल, झाँसी ने हस्ताक्षर किए।

पावरग्रिड (पीजीसीआईएल) को 600 मेगावाट की झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्य की सुपुर्दगी पावरग्रिड द्वारा 600 मेगावाट के झाँसी सौर ऊर्जा पार्क के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के कार्य के लिए 21.06.2023 को टुस्को लिमिटेड और पावरग्रिड (पीजीसीआईएल) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत को 2 33/220 केवी पूलिंग सबस्टेशनों के माध्यम से और आगे 220/400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के माध्यम से मुख्य ग्रिड तक पहुंचाया जाएगा। समझौते पर टुस्को लिमिटेड के सीईओ श्री मनोज सरदाना और पावरग्रिड की सीजीएम (बिजनेस डेवलपमेंट) श्रीमती नीला दास ने हस्ताक्षर किए।



600 मेगावाट के झाँसी सौर ऊर्जा पार्क के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के कार्य के लिए 21.06.2023 को टुस्को लिमिटेड और पावरग्रिड (पीजीसीआईएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

परियोजना की बाड़ाबंदी: झाँसी सौर ऊर्जा पार्क में कुल 90 किमी की बाड़ाबंदी की आवश्यकता है। इसमें से 4.8 किमी की लंबाई की बाड़ाबंदी का कार्य मेसर्स यूपीआरएनएन लिमिटेड को जमा कार्य/लागत के आधार पर सौंपा गया था। इस कार्य के कार्यान्वयन के लिए टुस्को लिमिटेड और मेसर्स यूपीआरएनएनएल के बीच दिनांक 05.02.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कार्य प्रगति पर है। यूपीआरएनएन के साथ अतिरिक्त 15 किमी की लंबाई के लिए बाड़ाबंदी कार्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। 25 किलोमीटर लंबाई की अतिरिक्त बाड़ाबंदी के लिए कार्य सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।



झाँसी सौर ऊर्जा पार्क में बाड़ाबंदी का कार्य

विद्युत क्रय: यूपीआईआरसी द्वारा सीलिंग टैरिफ के अनुमोदन के अध्यक्षीन यूपीपीसीएल से 2.98 रुपये/यूनिट की अधिकतम टैरिफ के साथ टुस्को द्वारा अनुरोध किए गए 600 मेगावाट के सापेक्ष 535 मेगावाट क्षमता के पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है।

परियोजना क्षमता: तकनीकी सलाहकार—मेसर्स सगुर के आकलन के अनुसार, झाँसी पार्क के अंदर शुद्ध उपयोग योग्य क्षेत्र 1927.724 एकड़ है, जो संयंत्र क्षमता के 8° तक ग्रेडिएंट को ध्यान में रखते हुए 418.75 एमडब्ल्यूएसी और 12° के उच्च ग्रेडिएंट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 493.75 एमडब्ल्यूएसी के अनुरूप है।

बोली: सौर परियोजना विकासकर्ता को परियोजना प्रदान करने के लिए, यूपीनेडा द्वारा बोली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यूपीपीसीएल ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एसपीडी के चयन के लिए बोलियां जारी करने के लिए अंतिम खरीदार के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में टुस्को के स्थान पर यूपीएनईडीए को अधिकृत किया है। आईएफसी के परामर्श से टुस्को द्वारा तैयार किए गए बोली दस्तावेज अनुमोदन के लिए यूपीनेडा के माध्यम से यूपीपीसीएल को प्रस्तुत किए गए हैं।

वित्तपोषण: रिपोर्ट की तारीख के अनुसार, कंपनी को 20 करोड़ रुपये की इक्विटी प्राप्त हुई। झाँसी परियोजना के मद में 24 करोड़ रुपये की सीएफए प्राप्त हुई है। कंपनी ने झाँसी परियोजना के लिए आरईसी लिमिटेड से 140.47 करोड़ रुपये का ऋण वित्तपोषण का करार भी किया है।

व्यय: झाँसी परियोजना पर दिनांक 31.05.2023 तक 35.15 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

600 मेगावाट ललितपुर सौर ऊर्जा पार्क (एलएसपीपी)

ललितपुर सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण: ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में ललितपुर में 600 मेगावाट के यूएमआरपीपी की स्थापना की जा रही है। ललितपुर सौर ऊर्जा पार्क के लिए अधिग्रहण हेतु 30-वर्षीय पट्टे के आधार पर लक्षित भूमि 3000 एकड़ है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुमोदन के अनुरूप है। तालबेहट तहसील में सौर पार्क के विकास के लिए अभिचिन्हित भूमि 3045 एकड़ (निजी भूमि 1776 एकड़ (58%) और सरकारी/ग्राम सभा भूमि—1269 एकड़ (42%) है। दिनांक 30.04.2023 तक कुल 894 एकड़ (निजी भूमि का 50%) के पट्टा विलेख करार (786 किसानों के) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि के प्रावधान के साथ प्रति वर्ष 20,000/- रुपये प्रति एकड़ के रूप में पट्टा किराया को अंतिम रूप दिया है। दिनांक 29.07.2021 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर शुरू किए गए थे और जुलाई, 2023 तक किसानों के साथ 670.93 एकड़ निजी भूमि के लिए पट्टा विलेख करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।



पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर के लिए टुस्को लिमिटेड के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक

सौर पार्क की लागत: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में 600 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। सौर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अप्रैल 2023 में राज्य उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मंजूरी प्रतीक्षित है। सौर पार्क की लागत 449.23 करोड़ रुपये आंकी गई है।

वित्त पोषण के स्रोत: परियोजना को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है:

क्र. सं.	स्रोत	राशि (करोड़ रुपए में)
1	इक्विटी	20.00
2	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	120.00
3	अग्रिम शुल्क	90.00
4	ऋण वित्तपोषण	219.23

विद्युत निकासी - बाहरी: ललितपुर परियोजना से विद्युत की निकासी के लिए यूपीपीटीसीएल द्वारा 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान की गई है और उपयोग के अधिकार के आधार पर यूपीपीटीसीएल को निःशुल्क 75 एकड़ भूमि को सौंपने का प्रस्ताव है। यूपीपीटीसीएल ने 2.5 वर्ष की अनुमानित समय अवधि के भीतर सौर पार्कों के लिए विद्युत निकासी को पूरा करने की सूचना दी है। ग्राम खांदी, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर में 220/200/765 केवी ग्रिड सबस्टेशन जीएसएस के निर्माण के लिए 81.89 एकड़ भूमि सौंपने के लिए टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच 17.07.2023 को भूमि उपयोग करार/समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना में बाड़ाबंदी: ललितपुर सौर ऊर्जा पार्क में कुल 90 किमी की बाड़ाबंदी की आवश्यकता है। 25 किमी की लंबाई के लिए बाड़ाबंदी कार्य सौंप दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

विद्युत क्रय: वर्तमान में, टुस्को पीपीए को पूरा करने के लिए उद्योग में विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।



ललितपुर सोलर पावर पार्क में बाड़ाबंदी

वित्तपोषण: रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी को 10 करोड़ रुपये की इक्विटी प्राप्त हुई। सीएफए और ऋण निधि के लिए दावा प्रक्रियाधीन है।

व्यय: दिनांक 31.05.2023 तक ललितपुर परियोजना पर 7.70 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क (सीएसपीपी) की स्थिति

भूमि अधिग्रहण: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 18.08.2021 को टुस्को लिमिटेड को चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क के लिए लक्षित भूमि 4000 एकड़ है। चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क के लिए आवश्यक भूमि 4175 एकड़ है। इस भूमि में 2751 एकड़ निजी भूमि और 1423 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। अधिग्रहण के लिए भूमि 30 वर्ष के पट्टे के आधार पर है। दिनांक 30.04.2023 तक किसानों के साथ कुल 1006 एकड़ निजी भूमि पट्टा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।



चित्रकूट में सीईओ, टुस्को द्वारा साईट का निरीक्षण

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.08.2020 को टुस्को लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना: सौर पार्क के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और यूपीनेडा/उत्तर प्रदेश सरकार और एमएनआरई/एसईसीआई को प्रस्तुत किया जा रहा है।

व्यय: दिनांक 31.05.2023 तक परियोजना पर 4.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार सौर परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को ग्राम सभा भूमि सहित सरकारी भूमि या तो पट्टे के आधार पर या प्रति वर्ष 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से उपयोग के अधिकार के आधार पर प्रदान करती है। नीति के अनुसरण में, टुस्को लिमिटेड ने नीति के अनुसार सभी परियोजनाओं, अर्थात्, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट के लिए अभिचिह्नित सरकारी भूमि/ग्राम सभा भूमि के हस्तांतरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। टुस्को लिमिटेड ने यूपीनेडा/भारत सरकार के पास एक वर्ष की सरकारी भूमि का पट्टा किराया जमा कर दिया है, और तीनों सौर ऊर्जा पार्कों के संबंध में सरकारी भूमि टुस्को लिमिटेड को सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है।

फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति:

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित जलाशयों की डीपीआर तैयार करने के लिए अनुमोदन दे दिया था:

- माताटीला बांध और जलाशय, ललितपुर
- ढुकवां बांध और जलाशय, झाँसी
- जमानी बांध और जलाशय, ललितपुर
- अर्जुन सागर, महोबा
- अडावा बांध और जलाशय, मिर्जापुर
- रामगंगा बांध और जलाशय, कालागढ़, उत्तराखंड

उपरोक्त फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने का कार्य मार्च 2023 में 3.01 करोड़ रुपये में मेसर्स पावर एंड एनर्जी कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के अनुसार, केवल तीन बांध या परियोजना स्थल (कुल 06 फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से) माता टीला बांध और जलाशय, ललितपुर, जामिनी बांध और जलाशय ललितपुर, अर्जुन सागर, महोबा के रूप में उपयुक्त पाए गए हैं। इन 03 फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थलों की डीपीआर तैयार कर ली गई है और यूपीनेडा/उत्तर प्रदेश सरकार/एसईसीआई को प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय परिणाम


31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50.00 करोड़ रुपये और संदत्त पूंजी 35.00 करोड़ रुपये थी। संदत्त शेयर पूंजी टीएचडीसी और यूपीएनईडीए द्वारा क्रमशः 74:26 के अनुपात में धारित की गई है।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष
टर्नओवर	40.83	10.26
कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी)	(37.79)	(146.17)
घटाएं: वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्यह्रास/परिषोधन से पहले लाभ/हानि (पीबीडीटी)	(37.79)	(146.17)
घटाएं: मूल्यह्रास	-	-
कराधान से पहले निवल लाभ/हानि (पीबीटी)	(37.79)	(146.17)
आस्थागित कर परिसंपत्ति	13.12	43.33
कराधान के बाद लाभ/हानि (पीएटी)	(24.67)	(102.84)
प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान	-	-
लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(24.67)	(102.84)

परिसंपत्तियों का ब्यौरा (लाख)



- उपयोग का अधिकार 54%
- पंचायत कार्य प्रगति पर 29%
- अन्य परिसंपत्ति 17%

राजस्व मॉडल

कंपनी के लिए राजस्व, सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक प्रभारों के कारण होगा।

600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा झॉसी सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण समझौता



मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर

टुस्को लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने 19.05.2023 को टुस्को कार्यालय, लखनऊ में 140.47 करोड़ रुपये के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। निर्माणाधीन 600 मेगावाट के झॉसी सौर ऊर्जा पार्क की पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार पर टुस्को लिमिटेड की ओर से सीईओ श्री मनोज सरदाना और आरईसी लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक श्री प्रभात कुमार सिंह और पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंधक श्रीमती शैलजा उमराव त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए।


पूंजी संरचना और लाभांश

शेयर पूंजी:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी 35 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान कंपनी ने टीएचडीसीआईएल और यूपीएनडीए को क्रमशः 74:26 के अनुपात में 15 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

शेयरधारिता पैटर्न (31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी से %
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2,59,000	74
2	उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	91,000	26
कुल		3,50,000	100



लाभांश:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया है क्योंकि कंपनी अभी तक प्रचालन में नहीं है और वित्त वर्ष 2022-23 में कोई राजस्व सृजन शुरू नहीं हुआ है।

आरक्षित निधियों और अधिशेष का अंतरण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी को 24.67 लाख रुपये की हानि हुई है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स डीएस शुक्ला एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जीएफ-2, एकता अपार्टमेंट 125-चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ-226024 को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

बोर्ड ने 12 मई 2023 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा 13 मई 2023 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को प्रस्तुत किए गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सी एंड एजी टिप्पणियों की एक प्रति और वित्तीय विवरण, रिपोर्ट में संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अनुलग्नक-ग के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है) में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर कहा गया है कि "हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में अभिचिह्नित और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है और महत्वपूर्ण कमजोरियों से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रभावित नहीं हुई है।"

प्रबंधन की टिप्पणियां: लेखा परीक्षकों द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमजोरियों के परिणामस्वरूप वार्षिक वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी नहीं हुई।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वार्षिक लेखाओं पर अपनी टिप्पणियां दी हैं जो रिपोर्ट में संलग्न हैं। सीएंडएजी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा 'न करने' का निर्णय लिया है।

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए जानकारी 'शून्य' है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

- (क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ और हानि की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।
- (ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने

के लिए निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए थे।
- (ङ) एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत थे।
- (च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठक की तारीख
1.	07वीं बोर्ड बैठक	09 मई 2022
2.	08वीं बोर्ड बैठक	05 सितम्बर 2022
3.	09वीं बोर्ड बैठक	16 सितम्बर 2022
4.	10वीं बोर्ड बैठक	06 जनवरी 2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, धारित अन्य निदेशक पद/समिति में धारित पद की संख्या का विवरण

क्रम सं.	निदेशक	आयोजित बोर्ड की बैठक की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिसमें भाग लिया	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य/शेयर धारक
1.	श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष	4	4	1	5	-
2.	श्री जे. बेहेरा	4	4	1	-	-
3.	श्री भवानी सिंह खंगारोत (10.06.2022 तक)	1	1	1	-	-
4.	श्री अनुपम शुक्ला (12.07.2022 से)	3	3	7	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों/केएमपी की नियुक्ति/कार्यकाल समापन का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति / सेवा समाप्ति	नियुक्ति / सेवा समाप्ति की तारीख
निदेशक			
1	श्री भवानी सिंह	सेवा समाप्ति	10 जून, 2022
2	श्री अनुपम शुक्ला	नियुक्ति	12 जुलाई, 2022
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)			
1	श्री शैलेन्द्र सिंह	सेवा समाप्ति	01 अगस्त, 2022
2	श्री मनोज सरदान	नियुक्ति	15 अप्रैल, 2023
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)			
1	श्री के.के. श्रीवास्तव	सेवा समाप्ति	29 अगस्त, 2022
2	श्री मृदुल दुबे	नियुक्ति	06 जनवरी, 2023
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान टुस्को लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोद्दिष्ट किए हैं।			

क्रम सं.	केएमपी का नाम
1.	श्री मनोज सरदाना, सीईओ, टुस्को लिमिटेड
2.	श्री मृदुल दुबे, सीएफओ, टुस्को लिमिटेड
3.	श्री हिमांशु बाजपेयी, कंपनी सचिव, टुस्को लिमिटेड

..15.04.2023 को नियुक्त

..06.01.2023 को नियुक्त

कर्मचारियों की जानकारी

कंपनी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण के लिए समय-समय पर जनशक्ति संरचना की पुनरीक्षा की जाती है।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है। चूंकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए जानकारी को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और समझौते

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार अपनी किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी-2 में किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) तहत अपेक्षित है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

वर्ष के लिए सूचना शून्य है क्योंकि परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वर्ष 2021-22 के अंत तक प्रक्रिया/जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के अंत तक प्रक्रिया/जांचाधीन मामलों की संख्या
0.00	0.00	0.00	0.00



टुस्को लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक 09.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। हालांकि, कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के कारण, दिनांक 05.09.2017 की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना और कंपनी अधिनियम के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार कंपनी की वेबसाइट में प्रकट किया गया है और वार्षिक विवरणी देखने के लिए लिंक निम्नानुसार है:

वार्षिक विवरणी का वेबलिंक: [https://tuscoltd.co.in/Upload/MediaGalleryPDFsa/Annual_return_2022-23\(1\).pdf-2023-Sep-06-18-33-26.pdf](https://tuscoltd.co.in/Upload/MediaGalleryPDFsa/Annual_return_2022-23(1).pdf-2023-Sep-06-18-33-26.pdf)

सांविधिक प्रकटीकरण

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2023 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।
2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
4. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और लेखापरीक्षकों द्वारा

पाई गई महत्वपूर्ण कमजोरियों से वार्षिक वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी नहीं हुई है।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, हमारे प्रयासों में एमएनआरई, एसईसीआई, आईआरडीडीए, राज्य सरकार और उनके मंत्रालयों, बैंकों, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मैं उन कृषकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

आपके निदेशकगण, सभी हितधारकों, व्यवसाय भागीदारों, और टुस्को परिवार के सभी सदस्यों को बोर्ड में उनके विश्वास, भरोसे और आत्मविश्वास के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपके निदेशक सभी स्तरों पर टुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और उत्साह के लिए उनकी हार्दिक सराहना करना चाहते हैं।

इसके अलावा, हम सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हैं और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी की ओर से

ह०/-
(आर. के. विश्वाजी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 09/09/2023
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/समझौतों सहित उसके तीसरे परंतुक के तहत कतिपय आर्म्स लैंथ लेन-देन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

1. संविदाओं या समझौतों या लेन-देन, जो आर्म्स लैंथ आधार पर न हो, का ब्यौरा

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ) ऐसी संविदाओं या समझौतों या लेनदेन को निष्पादित करने का औचित्य	: लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ज) वह तिथि, जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथाअपेक्षित विशेष प्रस्ताव सामान्य बैठक में पारित किया गया था	: लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण संविदा या समझौता या आर्म्स लैंथ आधार पर लेनदेन का ब्यौरा

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग) संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: लागू नहीं



टुस्को लिमिटेड
31 मार्च, 2023 के अनुसार वित्तीय विवरण
सीआईएन U40106UP2020GOI134504
31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर-चालू संपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		70.68		44.14
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		8,639.70		4,980.33
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	2		2.56		3.39
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		4,687.60		2,010.65
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) सहायक कंपनियों में निवेश	4	0.00		0.00	
(ii) ऋण	5	0.00		0.00	
(iii) अग्रिम	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7		64.97		51.85
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		4.08		1.62
(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	9		327.78		0.00
चालू परिसंपत्ति					
(क) सूची	10		0.00		0.00
(ख) वित्तीय संपत्ति					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	0.00		0.00	
(ii) नकद और नकदी समकक्ष	12	0.41		255.93	
(iii) उपरोक्त के अलावा (ii) अन्य बैंक शेष	12.1	1877.16		0.00	
(iv) ऋण	13	0.00		0.00	
(v) अग्रिम	14	0.00		0.00	
(vi) अन्य	15	1.69	1,879.26	0.14	256.07
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		0.00		0.92
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		331.51		4.96
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	18		0.00		0.00
कुल			16,008.14		7,353.93
इक्विटी और देयताएं					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,500.00		2,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	20		216.50		(128.83)
कुल इक्विटी			3,716.50		1,871.17
गैर-चालू देयताएं					

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	0.00		0.00	
(क) पट्टा देयताएं	22	8,771.35		4,778.20	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	0.00	8,771.35	0.00	4,778.20
(ख) अन्य गैर-चालू देयताएं	24		2,450.00		50.00
(ग) प्रावधान	25		0.00		0.00
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	0.00		0.00	
(क) पट्टा देयताएं	27	609.68		373.66	
(ii) व्यापार देय					
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		3.60		0.00	
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		0.00		0.00	
(iii) अन्य	28	444.25	1,057.53	262.36	636.02
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		10.6		16.38
(ग) प्रावधान	30		2.16		2.16
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		0.00		0.00
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	32		0.00		0.00
कुल			16,008.14		7,353.93
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	38				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	39				
टिप्पणी 1 से 39 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
(आर. के. विश्वाजी)
अध्यक्ष

डीआईएन: 08534217

दिनांक: 13/05/2023

स्थान: ऋषिकेश/ लखनऊ

ह०/—
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०/—
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

ह०/—
(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

दिनांक: 13/05/2023

स्थान: लखनऊ



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		0.00		0.00
अन्य आय	34		40.83		10.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		0.00		0.00	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल आय			40.83		10.26
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		76.26		154.07
वित्त लागत	36		0.00		0.00
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		0.00		0.00
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		2.36		2.36
अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और सामान एवं कलपुर्जों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल व्यय			78.62		156.43
कर पूर्व लाभ / (हानि) और विनियामक आस्थगित खाता शेष			(37.79)		(146.17)
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर			0.00		0.00
अस्थगित कर—(परिसंपत्तियां)/दैयता			(13.12)		(43.33)
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले अवधि के लिए लाभ / (हानि)			(24.67)		(102.84)
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय / (व्यय) में निवल संचलन—कर का निवल			0.00		0.00
I सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			(24.67)		(102.84)
II अन्य व्यापक आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन			0.00		0.00
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनःमापन पर आस्थगित कर—आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)			0.00		0.00
अन्य व्यापक आय			0.00		0.00
कुल व्यापक आय (I+II)			(24.67)		(102.84)

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित शेष में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			(8.66)		(89.91)
तनुकृत (₹)			(8.66)		(84.55)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित शेष में निवल संचलन को छोड़कर)					
मूल (₹)			(8.66)		(89.91)
तनुकृत (₹)			(8.66)		(84.55)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	38				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	39				
टिप्पणी 1 से 39 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

ह०/—
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०/—
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: ऋषिकेश/ लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

ह०/—
(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: लखनऊ

सदस्यता संख्या: - 408990



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ		(37.79)		(146.17)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
मूल्यह्रास	-		-	
मूल्यह्रास-सिंचाई घटक	-		-	
प्रावधान	-		-	
वित्तीय लागत	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-		-	
बैंक में जमा राशियों पर ब्याज	(40.83)		(10.26)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(40.83)		-	(10.26)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(78.62)		(156.43)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
माल-सूची	-		-	
व्यापार प्राप्तियां (बिल न किए गए राजस्व सहित)	-		-	
अन्य परिसंपत्तियां	(328.11)		(4.61)	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(1.55)		(1.04)	
व्यापार देय और देयताएं	4,924.68		5,206.12	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	-		(0.05)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	4,595.02		-	5,200.42
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		4,516.40		5,043.99
कारपोरेट कर	-		-	
प्रचालन से निवल नकद (क)		4,516.40		5,043.99
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
अचल परिसंपत्ति और सीडब्ल्यूआईपी	(6,362.01)		(6,343.85)	
निर्माण सामग्री	-		-	
पूंजी अग्रिम	(327.78)		-	
नकदी और नकदी समतुल्य को छोड़कर बैंकों में जमा राशि	(1877.16)	-	-	
बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	40.83		10.26	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		(8,526.12)		(6,333.59)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	1,870.00		1,000.00	
उधारियां-गैर-चालू	-		-	
उधारियां-चालू	-		-	
पट्टा दायित्व	(515.80)		(226.77)	
ब्याज और वित्त प्रभार	-		-	
अनुदान	2,400.00		50.00	
लाभांश और लाभांश पर कर	0.00		0.00	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		3,754.20		823.23
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		(255.52)		(466.37)
ङ. आरंभिक नकद और नकदी समकक्ष		255.93		722.30
च. अंत में नकद और नकदी समकक्ष (घ+ङ)		0.41		255.93

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
(आर. के. विश्वादी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

ह०/—
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०/—
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: ऋषिकेश/ लखनऊ

हमारी समिति की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

ह०/—
(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: लखनऊ



इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
		कुल
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		2,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,500.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		3,500.00

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
		कुल
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		1,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		2,000.00

(ख) अन्य इक्विटी

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित और अन्य		
अथ शेष (I)		0.00	(128.83)	0.00	0.00	(128.83)
अवधि के लिए लाभ			(24.67)			(24.67)
अन्य व्यापक आय					0.00	0.00
कुल व्यापक आय			(24.67)		0.00	(24.67)
लाभांश			0.00			0.00
लाभांश पर कर			0.00			0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			(24.67)			(24.67)
अवधि के दौरान जमा शेयर पूंजी लंबित आवंटन (VI)		370.00				370.00
अंत शेष (I+II+III+IV)		370.00	(153.50)	0.00	0.00	216.50

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए

(₹ लाख में)

	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022			अन्य व्यापक आय	कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	
अथ शेष (I)	0.00	(25.99)	0.00	0.00	(25.99)
अवधि के लिए लाभ		(102.84)			(102.84)
अन्य व्यापक आय				0.00	0.00
कुल व्यापक आय		(102.84)		0.00	(102.84)
लाभांश		0.00			0.00
लाभांश पर कर		0.00			0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)		(102.84)			(102.84)
अंत शेष (I+II+III+IV+V)	0.00	(128.83)	0.00	0.00	(128.83)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
(आर. के. विश्णोई)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

ह०/—
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०/—
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: ऋषिकेश/ लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

ह०/—
(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार
सदस्यता संख्या: - 408990

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य जानकारी

1.1 टुस्को लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित कंपनी है और शेयरों (सीआईएन:यू40106यूपी2020जीओआई134504) द्वारा निगमित है तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और यूपीएनईडीए (26%) द्वारा धारित हैं। कंपनी का पंजीकृत पता—चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226010 है। कंपनी का निगमन भारत और विदेश में सौर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, योजना, संवर्धन, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया है।

1.2. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.2.1 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

1.2.2 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई हैं सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

2.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा

सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.3 आपूर्ति और उत्थापन के टेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.4 टेकों के मामले में मूल्य-अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.5 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार-संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रही निर्माण परियोजनाएं/ पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

4.1 पीपीई को प्रारंभिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर डी-कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत में से मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में टेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्याधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

4.2 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण मरम्मत पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है।

4.4 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा

भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि-लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

4.5 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

5. मूल्यहास एवं परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यहास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

5.2 मूल्यहास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के 'शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यहास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

5.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यहास किया जाता है।

5.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूँजीकृत वर्ष में रुपये 1/- रखकर पूर्ण मूल्यहास (100%) किया जाता है।

5.5 1500/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/-रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

5.6 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूँजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

5.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

5.8 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को सीईआरसी विनियमन के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

5.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूँजीकृत किया जाता है और इन्हें

मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के 'शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यहास किया जाता है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.2 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए सॉफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन-पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन-देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन-देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकड़ें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर-1- एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर-2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर-3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

- 8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं— बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर-महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

- 10.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।
- 10.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।
- 10.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं—
- 1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
 - 2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
 - 3) लाभ-हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- 10.4 **प्रारंभिक पहचान और माप:** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत

में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

- 10.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।
- 10.6 **तदन्तर माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।
- 10.7 **अमान्यता (डी रिक्वागनिशन)** - किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

11. वित्तीय देनदारियां

- 11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।
- 11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।
- 11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप
- 11.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।
- 11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट-अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती हैं। देनदारियों को अमान्य करने के साथ-साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना रू किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. माल-सूची

12.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

12.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल-सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ-हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ-हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर-प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यहास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली

घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन-पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके संबंध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.3 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.4 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.5 अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.6 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते हैं। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व-अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 2.00 करोड़ रुपये की पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई हैं, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए गए हैं। यदि



त्रुटियाँ पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रणीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

- 16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।
- 16.4 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।
- 16.5 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।
- 16.6 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

कंपनी के कर्मचारी धारक कंपनी से सेकेंडमेंट पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेजुएट), सेवानिवृत्ति-उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ स्कीम एवं अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में, कंपनी, कंपनी में प्रदान की सेवा अवधि के लिए पीएफ और पेंशन स्कीम के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के समग्र का अंशदान करती है। अन्य टर्मिनल हितलाभों के लिए, कंपनी धारक कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। वास्तविक लाभ/हानियों, यदि कोई हों, को धारक कंपनी द्वारा परिकलित किया जाता है।

18. ऋण लागत

- 18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्पादन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती हैं।
- 18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी

उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्पादन के लिए किया जाता है।

तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुईं हों।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

- 19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभाय किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा-अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

- 20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नहीं इस बात का आकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

- (क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और
- (ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से

पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते हैं जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रूप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बंधित होती है।

आरंभिक रूप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरूपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी

अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 वर्तमान आयकर-आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन-पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन-पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन-पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन-पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर-परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों

को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव को आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चितता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) -7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्रॉप्ट शामिल हैं। तथापि तुलन-पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्रॉप्ट को तुलन-पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

- 23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह -
- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
 - प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
 - रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
 - जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी

निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. प्रति शेयर आय

24.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारत औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

25. लाभांश

25.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

26. विविध

26.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण								
अन्य परिसंपत्तियां								
1. फ्रीहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अस्थायी भवन संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ड्रेनेज, सीवररेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईंजीपी मशीनें	21.86	12.77	(2.69)	31.94	7.00	(1.14)	20.49	14.86
10. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारिषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	12.54	15.17	(2.82)	24.89	0.53	1.08	21.69	12.02
13. फर्नीचर और फिक्चर	19.22	18.94	(5.27)	32.89	1.95	(0.24)	28.50	17.26
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक वर्क्स-बांध और स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक वर्क्स-टनल, पेनस्टॉक नहर आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	53.62	46.88	(10.78)	89.72	9.48	(0.28)	70.68	44.14

पिछली अवधि के लिए आंकड़े	21.38	33.50	(1.25)	53.62	2.35	5.45	1.68	9.48	44.14	19.03
ख अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति-सॉफ्टवेयर	4.13	-	-	4.13	0.74	0.83	-	1.57	2.56	3.39
उप योग	4.13	-	-	4.13	0.74	0.83	-	1.57	2.56	3.39
पिछली अवधि के लिए आंकड़े	2.36	1.77	-	4.13	0.09	0.65	-	0.74	3.39	2.27
ग. उपयोग का अधिकार-परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार-भूमि	5,069.70	4,015.71	-	9,085.41	114.63	348.85	-	463.48	8,621.94	4,955.07
2. उपयोग का अधिकार-भवन	37.51	-	-	37.51	12.25	7.50	-	19.75	17.76	25.26
3. उपयोग का अधिकार-वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	5,107.21	4,015.71	-	9,122.92	126.88	356.35	-	483.22	8,639.70	4,980.33
पिछली अवधि के लिए आंकड़े	37.51	5,069.70	-	5,107.21	4.75	122.13	-	126.88	4,980.33	32.76
मूल्यहास का विवरण					चालू वर्ष		पिछला वर्ष			
ई.डी.सी में अंतरित मूल्यहास					367.03		128.23			
पी एंड एल विवरण में अंतरित मूल्यहास					-		-			
पी एंड एल विवरण में अंतरित मूल्यहास - समूह से सिंचाई अंशदान					-	367.03	-	128.23		
वर्ष के दौरान रुपये 1500.00 से अधिक परंतु रुपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गईं तथा पूरी तरह से उनका मूल्य हास किया गया					0.28		0.56			

टिप्पणी: -2

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	01 अप्रैल, 2021 तक	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	01 अप्रैल 2022 तक	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण									
अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्रीहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अस्थायी भवन संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ड्रेनेज, सीवरेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईंधीपी मशीनें	10.62	11.84	(0.60)	21.86	2.11	3.29	1.60	14.86	8.51
10. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारिषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	0.62	11.92	-	12.54	0.03	0.50	-	12.01	0.59
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	10.14	9.73	(0.65)	19.22	0.21	1.66	0.08	17.27	9.93
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक वर्क्स-बांध और स्पलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक वर्क्स-टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	21.38	33.49	(1.25)	53.62	2.35	5.45	1.68	44.14	19.03

टिप्पणी: -3

पूँजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकाससाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		01 अप्रैल, 2021 तक	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2022 तक
			01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान समायोजन		01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान पूँजीकरण	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूँजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर है									
भवन और अन्य सिविल कार्य		43.37	425.78	-	-	43.37	-	-	43.37
सड़कें, पुल और पुलिया		-	-	-	-	-	-	-	-
जल आपूर्ति, सीवरज और ड्रेनेज		-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक वर्क्स, बांध, स्पिलवे, जल चैनल, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वर्क्स		-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत प्रतिष्ठान और उप-स्थान उपकरण		-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-
लंबित व्यय आवंटन									
सर्वेक्षण और विकास व्यय		209.14	26.56	-	182.48	26.66	-	-	209.14
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	1,758.14	2,224.61	3982.75	458.12	1,300.04	-	-	1,758.14
पुनर्वास									
कुल		2,010.65	2,676.95	4,687.60	640.60	1,370.09	-	-	2,010.65
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		640.60	1,370.09	2,010.65	-	640.60	-	-	640.60
विकाससाधीन अमूर्त परिसंपत्ति		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



टिप्पणी:-4

गैर-चालू परिसंपत्ति - सहायक कंपनियों में निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
सहायक कंपनियों में निवेश			
टुस्को		0.00	0.00
कुल		0.00	0.00

टिप्पणी:-5

गैर चालू - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
कर्मचारियों को ऋण पर उपार्जित ब्याज					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
कर्मचारियों को कुल ऋण		0.00		0.00	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
निदेशकों को ऋण					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को ऋण पर उपार्जित ब्याज					
शोध समझे गए—प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए—अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		0.00		0.00	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग			0.00		0.00
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल - ऋण			0.00		0.00
टिप्पणी: निदेशकों से देय मूलधन		0.00		0.00	

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी:-6

गैर चालू - वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		0.00		0.00	
अन्य को		0.00	0.00	0.00	0.00
जमा राशियां					
अन्य जमा राशियां		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			0.00		0.00

टिप्पणी:-7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		64.97	64.97	51.85	51.85
कुल			64.97		51.85

टिप्पणी:- 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			4.08		1.62
कुल			4.08		1.62



टिप्पणी:- 9

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
उचित मूल्यांकन के लिए देय आस्थगित कर्मचारी लागत			0.00		0.00
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (... लाख रुपये की बैंक गारंटी)		0.00		0.00	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		0.00		0.00	
iii) अन्य		327.78		0.00	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		0.00	327.78	0.00	0.00
उप-योग - पूंजी अग्रिम			327.78		0.00
कुल			327.78		0.00

* अन्य में यूपीआरएनएन को जमाराशि कार्य आधार पर बाड़ाबंदी कार्य के लिए प्रदान की गई अग्रिम राशि शामिल है।

टिप्पणी:- 10

इन्वेंट्री

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		0.00		0.00	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सामान एवं कलपुर्जे		0.00		0.00	
अन्य (सामान एवं कलपुर्जे सहित)		0.00		0.00	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: अन्य सामानों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			0.00		0.00

टिप्पणी:- 11

व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक के लिए बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, षोध्य समझे गए		0.00		0.00	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		0.00		0.00	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			0.00		0.00

टिप्पणी:- 12

नकद और नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
नकद और नकदी समकक्ष			
बैंक में शेष (आटो स्वैप, बैंकों में जमाराशि सहित)		0.41	255.93
पास में मौजूद चेक, ड्राफ्ट		0.00	0.00
कुल		0.41	255.93

टिप्पणी:- 12.1

नकद और नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक में शेष

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य बैंक शेष			
तीन वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां		1,877.16	0.00
अन्य (बैंक में शेष, जो उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है)		0.00	0.00
कुल		1,877.16	0.00

टिप्पणी:- 13

चालू- वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
कर्मचारियों को ऋण पर उपार्जित ब्याज					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
कर्मचारियों को कुल ऋण		0.00		0.00	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
निदेशकों को ऋण					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को ऋण पर उपार्जित ब्याज					
शोध समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		0.00		0.00	



घटाएं: प्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों को उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग			0.00		0.00
घटाएं: अषोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल - ऋण			0.00		0.00
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी:- 14

चालू- वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		0.00		0.00	
अन्य को		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			0.00		0.00

टिप्पणी:- 15

चालू- वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा					
प्रतिभूति जमा		1.69		0.14	
अन्य जमा		0.00	1.69	0.00	0.14
अन्य					
संविदागत परिसंपत्तियां			0.00		0.00
कुल			1.69		0.14

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

टिप्पणी:- 16

चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
जमा किया गया कर		0.00	0.92
कुल		0.00	0.92

टिप्पणी:- 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
पूर्व संदत्त व्यय		330.72	0.00
उपार्जित ब्याज		0.00	0.00
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां		0.00	0.00
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत		0.00	0.00
उप-कुल		330.72	0.00
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)			
कर्मचारियों को		0.79	4.96
अन्य को		0.00	0.00
उप योग - अन्य अग्रिम		0.79	4.96
कुल		331.51	4.96

टिप्पणी:- 18

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक जमा		0.00	0.00
अवधि के दौरान नेट मूवमेंट		0.00	0.00
जमा शेष		0.00	0.00



टिप्पणी:- 19

शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/- रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		5,00,000	5,000.00	5,00,000	5,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी		3,50,000	3,500.00	2,00,000	2,000.00
1000-रुपये प्रत्येक के पूर्व संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		3,50,000	3,500.00	2,00,000	2,000.00

टिप्पणी:- 19.1

कंपनी में शेयरधारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5% से अधिक शेयर धारिता					
I. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		2,59,000	74	1,48,000	74
II. यूपीनेडा		91,000	26	52,000	26
कुल		3,50,000	100	2,00,000	100

टिप्पणी:- 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्रारंभ में		2,00,000	2,000.00	1,00,000	1,000.00
निर्गत		1,50,000	1,500.00	1,00,000	1,000.00
अंत में		3,50,000	3,500.00	2,00,000	2,000.00

टिप्पणी:- 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार					
		शेयर की संख्या (आरम्भ में)	%	शेयर की संख्या (अंत में)	%	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	
I. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		1,48,000	74	2,59,000	74	0.00	
II. यूपीनेडा		52,000	26	91,000	26	0.00	
कुल		2,00,000	100	3,50,000	100		

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

टिप्पणी:- 20

अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन			370.00		0.00
प्रतिधारित आय			(153.5)		(128.83)
अन्य व्यापक आय			0.00		0.00
कुल			216.50		(128.83)

टिप्पणी:- 21

गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	

टिप्पणी:- 22

गैर-चालू वित्तीय देयताएं - उधार

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			9,381.03		5,151.86
घटाएं: पट्टा देयताओं का चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			609.68		373.66
कुल			8,771.35		4,778.20

टिप्पणी:- 23

गैर-चालू वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमाराशि, प्रतिधारण धनराशि			0.00		0.00
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धनराशि			0.00	0.00	0.00
कुल			0.00		0.00



टिप्पणी:- 24

अन्य गैर चालू - देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के लिए आस्थिगत राजस्व			0.00		0.00
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान घटाएं -		0.00		0.00	
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
एमएनआरई से अनुदान					
अथशेष		50.00		0.00	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त		2,400.00		50.00	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त		0.00	2,450.00	0.00	50.00
अन्य देयताएं			0.00		0.00
आस्थिगत उचित मूल्यांकन लाभ - प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धनराशि			0.00		0.00
कुल			2,450.00		50.00

* खाता क्रमांक पर नोट देखें। 39 प्वाइंट नं. 11।

टिप्पणी:- 25

अन्य चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार					31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार				
		1 अप्रैल, 2022 तक	परिवर्धन	समा योजन	उपयोग	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2021 तक	जोड़ना	समा योजन	उपयोग	31 मार्च, 2022 तक
I. कर्मचारियों से संबंधित		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. अन्य		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी:- 26

चालू - वित्तीय देयताएं - उधारियां

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

टिप्पणी:- 27

चालू- वित्तीय देयताएं- अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता अप्रतिभूत			609.68		373.66
कुल			609.68		373.66

टिप्पणी:- 28

चालू- वित्तीय देयताएं- अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.00		4.01	
अन्य के लिए		291.06	291.06	244.16	248.17
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		153.19		14.19	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि		0.00	153.19	0.00	14.19
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ – प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
कुल			444.25		262.36

* अन्य में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को देय 206.56 लाख रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी:- 29

अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
अन्य देयताएं			10.60		16.38
कुल			10.60		16.38



टिप्पणी:- 30

चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए				
		1 अप्रैल, 2022 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2021 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2022 तक
I. कार्य		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. कर्मचारियों से संबंधित		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. अन्य		2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.21	2.16	0.00	(2.21)	2.16
कुल		2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.21	2.16	0.00	(2.21)	2.16
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		2.21	2.16	0.00	(2.21)	2.16	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21

* अन्य में 2.16 लाख. रु के ऑडिट शुल्क के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी:- 31

चालू- कर देयताएं-निवल

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
अथ शेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान परिवर्धन			0.00		0.00
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			0.00		0.00
अंतशेष			0.00		0.00

टिप्पणी:- 32

विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	
अथ शेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान निवल संचलन			0.00		0.00
अंतशेष			0.00		0.00

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

टिप्पणी:- 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		672.42		423.68	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		57.73		33.29	
पेंशन निधि		51.43		44.82	
उपदान		11.57		12.83	
कल्याण		11.39		10.07	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.00	804.54	0.00	524.69
अन्य व्यय	37				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		2.50		0.00	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.28	2.78	0.00	0.00
दर और कर			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			0.94		1.82
बीमा			0.00		0.00
संचार			8.35		5.68
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र व मशीनरी		0.00		0.00	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.90		22.03	
अन्य		5.64	6.54	4.76	26.79
यात्रा और वाहन			14.74		12.13
वाहन किराया और चलाना			53.46		39.28
सुरक्षा			0.09		0.00
प्रचार एवं जनसंपर्क			1.62		0.00
अन्य सामान्य व्यय*			196.36		119.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2.02		0.00
ब्याज अन्य			769.94		442.89
मूल्यह्रास	2		367.03		128.23
कुल व्यय (क)			2,228.41		1,300.51
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
किराए प्राप्तियां			3.76		0.49
विविध प्राप्तियां			0.04		0.00
कुल प्राप्तियां (ख)			3.80		0.49
कराधान पूर्व निवल व्यय			2,224.61		1,300.02



कराधान के लिए प्रावधान	39				
कराधान सहित निवल व्यय			2,224.61		1,300.02
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)	41		0.00		0.00
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			1,758.14		458.12
कुल ईडीसी			3,982.75		1,758.14
घटाएं:-					
ईडीसी को सीडब्ल्यू आईपी / परिसम्पत्ति आबंटित		0.00		0.00	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष राशि			3,982.73		1,758.14

* अन्य सामान्य व्यय में 30.53 लाख रुपए (15.98) के ट्रांजिट कैम्प व्यय, 21.49 लाख रुपये (14.78) का जनशक्ति व्यय और 48.16 लाख रुपए (32.99) का पेशेवर शुल्क और व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी:- 33

सतत प्रचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		0.00		0.00	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		0.00		0.00	
जोड़ें:					
घटाएं:					
मूल्यहास के सापेक्ष अग्रिम-आस्थगित		0.00		0.00	
ग्राहकों को छूट		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			0.00		0.00

टिप्पणी:- 34

अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाओं पर (इसमें 407968.00 रुपए टीडीएस शामिल है जिसमें पूर्व अवधि का 161884.00 रुपए शामिल है)		40.83		10.26	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.00		0.00	
अन्य		0.00	40.83	0.00	10.26
किराया प्राप्तियां			3.76		0.49
विविध प्राप्तियां			0.04		0.00
उचित मूल्य लाभ-प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
कुल			44.63		10.75
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		3.80		0.49
कुल			40.83		10.26

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

टिप्पणी:- 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		748.68	577.75
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		57.73	33.29
पेंशन निधि		51.43	44.82
उपदान		11.57	12.83
कल्याण व्यय		11.39	10.07
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.00	0.00
कुल		880.80	678.76
घटाएं:			
ईडीसी में अंतरित	32.1	804.54	524.69
कुल		76.26	154.07

टिप्पणी:- 36

वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए
वित्त लागत			
बॉन्ड्स पर ब्याज		0.00	0.00
घरेलू ऋणों पर ब्याज		0.00	0.00
विदेशी ऋणों पर ब्याज		0.00	0.00
नकद ऋण पर ब्याज		0.00	0.00
एफईआरवी		0.00	0.00
आयकर अधिनियम के अनुसार कर भुगतान		0.00	0.00
ब्याज अन्य*		769.94	442.89
कुल		769.94	442.89
घटाएं:-			
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज		769.94	442.89
कुल योग		0.00	0.00



टिप्पणी:- 37

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		2.50		0.00	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.28	2.78	0.00	0.00
दर और कर			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			0.94		1.82
बीमा			0.00		0.00
संचार			8.35		5.68
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र व मशीनरी		0.00		0.00	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.90		22.03	
अन्य		5.64	6.54	4.76	26.79
यात्रा और वाहन			14.74		12.13
वाहन किराया और संचालन			53.46		39.28
सुरक्षा			0.09		0.00
प्रचार और लोक संबंध			1.62		0.00
अन्य सामान्य व्यय			196.36		119.00
लेखा परीक्षकों को भुगतान			2.36		2.36
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2.02		0.00
कुल			289.26		207.06
घटाएं :					
ईडीसी में अंतरित	32.1		286.90		204.70
कुल			2.36		2.36

(उपरोक्त 2.36 लाख रुपए में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय शुल्क शामिल है)

38.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टुस्को लिमिटेड कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी बैंक जमाओं से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

उन जोखिमों का प्रबंधन (शमन)

उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

कंपनी, बैंकों, जिनमें शेष एवं जमा रखे जाते हैं, का चयन करने में ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार प्रतिष्ठा और सेवा मानक तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन जैसे कारकों पर विचार करती है।

तरलता जोखिम

भावी तरलता जोखिम प्रबंधन, आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्धता बनाए रखने में निहित है।

38.2 कोविड-19

कंपनी, अपने वित्तीय परिणामों के संबंध में भावी आर्थिक परिस्थितियों और परिणामी प्रभाव में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगी।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

39. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. आकस्मिक देयताएं -

- 1.1 निष्पादित (अग्रिमों का निवल) किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (पूजी प्रतिबद्धता) ₹ 411.98 लाख रुपये (विगत वर्ष ₹ 399.53 लाख रुपये) हैं।
2. ईएमडी/एसडी के विरुद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफ डी आर प्राप्त कर रही है। कंपनी ने ₹ 0.00 लाख रुपये (विगत वर्ष 00.12 लाख रुपये) की एफडीआर ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है, इसके अलावा, टिप्पणी 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 153.19 लाख रुपये (विगत वर्ष ₹ 2.91 लाख रुपये) की राशि प्राप्त की है।
3. इंडिएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूपीएनईडीए	भारत
एनटीपीसी (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी)	भारत

(ii) कार्यात्मक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री आर. के. विश्नुई	अध्यक्ष	06.08.2021 से
2	श्री जे. बेहेरा	नामिती निदेशक	12.09.2020 से
3	श्री अनुपम शुक्ला	नामिती निदेशक	12.07.2022 से
4	श्री भवानी सिंह खंगारोट	नामिती निदेशक	12.09.2020 से 10.06.2022 तक
5	श्री शैलेन्द्र सिंह	सीईओ	8.10.2020 से 31.07.2022 तक
6	श्री मृदुल दुबे	सीएफओ	06.01.2023 से
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	सीएफओ	8.10.2020 से 29.08.2022 तक
8	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	8.10.2020 से

(iii) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 12.09.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है, जो इसके अधिकांश शेयरों की धारक है। इंडिएएस-24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बंध की प्रकृति
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00 प्रतिशत)
2.	यूपीएनईडीए	शेयर होल्डर (26.00 प्रतिशत)
3.	एनटीपीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी

(iv) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
		31.03.2023	31.03.2022
यूपीएनईडीए	भुगतान किया गया कार्यालय पट्टा किराया	9.85	9.85
यूपीएनईडीए	डीपीआर पुनरीक्षण और विद्युत प्रभार आदि	3.87	0.00
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	किराया व्यय के लिए देय राशि	5.73	0.00
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि जैसे सांविधिक देयों का भुगतान	88.86	55.88
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)	जनशक्ति की हायरिंग	8.93	0.0

(v) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय रु. 76.26 लाख रुपये है।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	65.29	127.14
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	10.97	26.93
3	सेवांत लाभ	0.00	0.00
4	शेयर आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुलयोग	76.26	154.07

(vi) संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
देय राशि:		
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को देय	206.57	211.61
यूपीएनईडीए को देय	0.79	1.65
एनटीपीसी लिमिटेड को देय	0.00	10.50
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड को देय	5.99	0.00

(vii) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने झांसी और ललितपुर परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को परामर्श कार्य सौंपा है।

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) - बेसिक एवं तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

	2022-23	2021-22
करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	(24.67)	(102.84)
बेसिक इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	285479.45	114383.56
तनुकृत इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	285479.45	121627.40



(₹ लाख में)

	2022-23	2021-22
प्रति शेयर आय	रुपए में (₹)	रुपए में (₹)
– बेसिक	(8.66)	(89.91)
– तनुकृत	(8.66)	(84.55)
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	1000	1000

5. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एस 12 "आयकर" के अनुसरण में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 64.97 लाख रूपये की निवल वृद्धि को लाभ एवं हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार (रुपये लाख में)	मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार (रुपये लाख में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	64.97	51.85
कुल	64.97	51.85

(₹ लाख में)

आस्थगित कर की गणना		31.03.2023	31.03.2022
क) मूल्यहास के कारण परिसंपत्तियां			
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	75.11		48.85
बही के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	73.25		47.53
अंतर		1.86	1.32
ख) प्राथमिक व्ययों के कारण परिसंपत्तियां			
भविष्य में कटौतयोग्य के रूप में अनुमेय प्राथमिक व्यय	16.00		24.00
ग) भविष्य में अनुमेय अनावषेशित हानियां	232.02		174.09
अस्थायी अंतर		248.02	198.09
अस्थायी अंतरों की निवल राशि		249.88	199.41
कर की दर		26%	26%
आस्थगित कर परिसंपत्ति		64.97	51.85

6. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(i) दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार व्यापार देय एजेडिंग शेड्यूल

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
(ii) अन्य	81.85	0.00	0.00	0.00	81.85
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित देय – अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2022 के अनुसार

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
(ii) अन्य	32.55	0.00	0.00	0.00	32.55
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित देय –अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. एस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

(क) कंपनी ने इंड एस के प्रारम्भिक अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अपनाए हैं।

- समान तारीख के साथ समान आर्थिक परिवेश में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के एक पोर्टफोलियों के लिए एकल डिस्काउंट दर लागू की। तथापि, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित परिसंपत्तियों पर छूट दर को संशोधित किया जाता है, उन परिसंपत्तियों पर संशोधित छूट दर लागू होती है।
- आरम्भिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम की पट्टा अवधि पट्टों और कम मूल्य वाले पट्टों के लिए परिसंपत्ति और देयताओं के उपयोग के अधिकारी को मान्य न करने को छूट दी।
- आरम्भिक अनुप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मापन से आरम्भिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को शामिल किया।
- ये पट्टे पट्टा अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किए जाते हैं।
- भावी पट्टा किरायों को उनके वर्तमान मूल्य पर 'पट्टा दायित्व' के रूप में मान्य किया जाता है।

(ख) कंपनी ने पट्टा दायित्व और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के समकक्ष राशि के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 3975.03 लाख रुपये (4901.22) की राशि मान्य की गई है।

(ग) इंड एस 116 के अंतर्गत मान्य पट्टा दायित्वों के लिए लागू भारत औसत वृद्धिशील उधार दर 7.88% (विगत वर्ष 8.75%) है।

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

(i) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	5151.86	34.53
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	3975.03	4901.22
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	769.94	442.88
–पट्टा देयताओं का भुगतान	515.80	226.77
–अंत शेष	9381.03	5,151.86
– चालू	609.68	321.05
–गैर-चालू	8771.35	4830.81

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(₹ लाख में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
3 माह या कम	152.42	95.13
3-12 माह	457.26	285.38
1-2 वर्ष	611.44	380.51
2-5 वर्ष	1868.48	1198.61
5 वर्ष से अधिक	18045.30	3192.23
31 मार्च, 2023 को पट्टा देयताएं	21134.90	5151.86



(iii) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	356.35	122.13
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	769.94	442.88

(iv) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	515.80	226.77
पट्टा करों के सापेक्ष अग्रिम	330.72	125.51

8. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

9. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(₹ लाख में)

		2022-23	2021-22
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.36	2.36
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	—	—
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	—	—
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	—	—
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.59	—
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	—	—

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

10. (क). नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023	31.03.2022
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	0.41	255.93
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष		0.00	0.00
घटायें : ओवर ड्रॉप्ट शेष		0.00	0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		0.41	255.93

(ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा आईएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन-पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह 2022-23	आरंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	₹ 2,000.00	₹ 1,870.00	₹ 3,870.00	₹ 1,870.00	टीएचडीसीआईएल से 1480.00 रुपए और यूपीनेडा से 390.00 रुपए
पट्टा दायित्व	₹ 5,151.86	₹ 4,744.97	₹ 9,381.03	₹ (515.80)	पट्टे के लिए किसानों को किया गया भुगतान
अनुदान	₹ 50.00	₹ 2,400.00	₹ 2,450.00	₹ 2,400.00	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से झांसी सौर पावर पार्क के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 2400.00 लाख रुपये प्राप्त हुए।
वित्तपोषण से निवल नकद प्रवाह	₹ 7,201.86	₹ 9,014.97	₹ 15,701.03	₹ 3,754.20	

11. इंड एस 19 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी के सभी कर्मचारी धारक कंपनी—टीएचडीसीआईएल से सेकेंडमेंट के आधार पर पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति—उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल हैं एवं अन्य टर्मिनल लाभ धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में हैं। कंपनी अपनी धारक कंपनी, जो इन कोषों को संबंधित न्यासों के माध्यम से अनुरक्षित करती है, के माध्यम से उपरोक्त स्कीमों में निर्धारित अंशदान करती है। तदनुसार, इन कर्मचारी हितलाभों को परिभाषित अंशदान स्कीम के रूप में माना जाता है (टिप्पणी संख्या 17 का अवलोकन करें)।

12. अनुपात विश्लेषण:

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण
				31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरी. क्षित)		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	2.07	0.73	195.08%	अग्रिम एवं बैंक शेष में वृद्धि के कारण
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	0.00	0.00	0.00%	
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ, ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज, पट्टा भुगतान, दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	0.00	0.00	0.00%	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	(0.88%)	(8.70%)	(89.85%)	बैंक से ब्याज से आय में वृद्धि (30.57 लाख रुपये) और केएमपी व्यय में 77.81 लाख रुपए की कमी के कारण
ड.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	0.00	0.00	0.00%	
च	ऋणदाता-टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल क्रेडिट बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00%	
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	0.00	0.00	0.00%	
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.00	0.00	0.00%	
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	निवल बिक्री	0.00%	0.00%	0.00%	
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर-पूर्व आय	नियोजित पूंजी	0.00%	0.00%	0.00%	
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	0.00%	0.00%	0.00%	

13. चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, आवश्यकता पड़ने पर, पुनःसमूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है।
14. इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 12.05.2023 को अधिकृत कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
(आर. के. विश्वाकर्मा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

ह०/—
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०/—
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/—
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: ऋषिकेश/ लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 000773सी

ह०/—
(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

दिनांक: 13/05/2023
स्थान: लखनऊ



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टुस्को लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार टुस्को लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

मामले पर बल

अपनी राय में परिवर्तन किए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 की उप-टिप्पणी संख्या 8(क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम तथा चालू देयताओं में प्रदर्शित राशियों सहित व्यापार/अन्य प्राप्य तथा ऋण एवं अग्रिम के खाते में दर्शाई गई शेष पुष्टि और मिलान के अध्यक्षीन हैं, वित्तीय विवरणों में पुष्टि और मिलान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन

किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है।

वित्तीय विवरणों से इतर अन्य सूचनाएं और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण, और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल हैं (परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं)। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत हैं या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचनाएं पढ़ते हैं और यदि हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौंपा गया है और आवश्यक कार्रवाई, आवश्यकता पड़ने पर, करें।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी के कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख-रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित

कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव भी इसमें शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की

संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिह्नित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षकों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत यथाअपेक्षित,



हमने, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और विनिर्दिष्ट मामलों के आधार पर एक विवरण **अनुलग्नक "ख"** में दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय, में उक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "ग" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.-463(अ) के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर ऐसा कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जिसके लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रभाव निर्दिष्ट किया जाना हो।

ii. कंपनी की डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घकालिक संविदा नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि, यदि कोई हो, का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों)

या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

iv. ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

iv. ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. अ. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑडिट ट्रायल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की विशेषता है, का उपयोग करके खाताबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ह०/—

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 000773सी)

ह०/—

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

यूडीआईएन: 23408990BHAHZU5774

स्थान : लखनऊ

दिनांक: 13.05.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक क”

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं” शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित

- 1) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है;
- (ख) प्रबंधन द्वारा उपयोग का अधिकार-परिसंपत्ति सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का चरणबद्ध रीति में भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उपयोग का अधिकार-परिसंपत्ति सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का वास्तविक सत्यापन किया गया है और बही के रिकॉर्डों और वास्तविक अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया है।
- (ग) कंपनी के नाम पर कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है, तथापि, पट्टे पर ली गई और वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में, 2675 पट्टा करार, जिनमें 3953.45 क्षेत्रफल की भूमि शामिल है, कंपनी के नाम पर हैं, तथापि, किसी भी करार को कंपनी के नाम पर उत्परिवर्तित नहीं किया गया है।
- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- 2) (क) लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई मालसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- 3) कंपनी ने न तो किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या किसी अन्य पक्षकार में निवेश किया है और न ही उन्हें कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है अथवा न ही ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और अतः आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 4) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए न तो कोई ऋण दिया है या न ही निवेश किया है या न ही गारंटी और प्रतिभूति दी है।
- 5) कंपनी ने किसी भी जमाराशि या जमा के रूप में मानी जाने वाली किसी धनराशि को स्वीकार नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3(अ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 6) हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बनाई गई लेखा-बहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखाओं को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है।
- 7) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा-बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकरण और अन्य किसी महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2023 को देय नहीं थी।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, किसी विवाद के कारण कोई आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बकाया नहीं हैं।
- 8) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।
- 9) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।



- (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर निधियां नहीं जुटाई हैं और अतः, आदेश के खंड 3 (ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली हैं, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए, खंड के तहत रिपोर्टिंग आदेश का 3(ix)(ङ) लागू नहीं होती है।
- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 10(क) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण लिखतों और सावधि ऋण सहित अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोटर्स को उनके मूल आबंटन के अनुपात में 1000 लाख रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम के अलावा, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया गया है।
- 11(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी में कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- 12) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 13) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के तहत यथाअपेक्षित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- 14) हमारी राय में कंपनी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है तथा इसका टर्नओवर और संदत्त शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए आंतरिक लेखा परीक्षा की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए आदेश का खंड 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 15) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 16) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (घ) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी राय में, कंपनी को निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 17) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को क्रमशः 37.79 लाख रुपये और 146.17 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।
- 18) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।
- 19) वित्तीय अनुपात, एजेडिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह

दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

20) कंपनी का निवल मूल्य, टर्नओवर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ह०/—

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 000773सी)

ह०/—

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

यूडीआईएन: 23408990BHAHZU5774

स्थान : लखनऊ

दिनांक: 13.05.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक ख”

(उसी तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन-देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन-देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।

कंपनी में लेखा संव्यवहार को प्रोसेस करने के लिए आईटी प्रणाली मौजूद है।

2. क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बढ़े खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा-जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है तो ये निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होते हैं)

लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्यतः ऋण/उधार /ब्याज आदि के संबंध में किसी छूट/बढ़ा का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

3. क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन/उपयोग उचित रूप से इनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें?

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी को सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में झांसी सौर पावर पार्क के लिए भूमि की 50% भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुदान के रूप में 2400 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान इसके प्रमोटर्स से इक्विटी पूंजी के रूप में 1500 लाख रुपए की निधियां प्राप्त हुई हैं, जिनका उचित लेखांकन किया गया है और परियोजना के लिए उपयोग किया जा रहा है।

ह०/—

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 000773सी)

ह०/—

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

यूडीआईएन: 23408990BHAHZU5774

स्थान : लखनऊ

दिनांक: 13.05.2023



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक ग”

(उसी तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टुस्को लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2023 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इंड एस वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइड्स टिप्पणी) और लेखांकन के मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी

मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो –

- (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें
- (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि लोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल है, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

योग्य राय का आधार

कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने लेखाबही में पट्टा किराया के लिए भू-स्वामियों को संदत्त अग्रियों के मिलान के लिए विद्यमान प्रणाली में महत्वपूर्ण कमजोरियां पाईं, चूंकि कंपनी ने पट्टा भुगतानों को भू-स्वामी-वार लेखांकित किया है, तथापि, देय पट्टा किराया और पट्टे के अग्रिम भुगतान को

व्यक्तिगत भू-स्वामी बहीखाते में लेखांकित नहीं किया गया है।

कोई 'महत्वपूर्ण कमजोरी', वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ऐसी खामी, या खामियां होती हैं, जैसे कि इस बात की तर्कसंगत संभावना हो कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी का समयोचित आधार पर निवारण या पता नहीं लगाया जाएगा।

योग्य राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि के संबंध में उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों के सिवाय, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर

आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 तक के वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरोक्त अभिचिह्नित और वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

ह०/—

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 000773सी)

ह०/—

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सदस्यता संख्या: - 408990

यूडीआईएन: 23408990BHAHZU5774

स्थान : लखनऊ

दिनांक: 13.05.2023



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

दिनांक: 23-06-2023

सेवा में

अध्यक्ष
दुस्को लिमिटेड
लखनऊ,

विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए दुस्को लिमिटेड, लखनऊ के 2022-23 वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं दुस्को लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेशित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय

संलग्नक:- यथोपरि।

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

टुस्को लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टुस्को लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 13.05.2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह०/—

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा),
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23/06/2023



दुस्को लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल ने 600 मेगावाट के झांसी सौर ऊर्जा पार्क की आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्य के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए



दुस्को लिमिटेड में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया



दुस्को लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में भाग लिया जिसे 21 से 25 सितंबर, 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दुस्को लिमिटेड में कार्यशाला/वार्ता का आयोजन



दुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए 10 कि.मी. की मैराथन वॉक का आयोजन



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



पंजीकृत कार्यालय : टुस्को लिमिटेड, चौथा तल, यूपीनेडा भवन,
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

Registered Office : IV Floor, UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010